तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
10/2/2020	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, अप्रार्थीगण के जवाब, वांछित अनुतोष एवं पक्षकारान् के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। हस्ब राजस्व रिकार्ड प्रकरण वर्णित भूमि वाके माल मौजा खैरावाद ख०नं० 1560, 1561, 165, 166, 179, 2007, 2056, 2149, 2721, किता 9 रकबा 8.25 है. भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं: 1 से 12 के नाम पर दर्ज है। अप्रार्थी नं: 1 से 7 के द्वारा उक्त भूमि में से अपना हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 13 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर कब्जा दे दिया है। इस प्रकार धारा 63 R.T. Act के प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी नं. 1 से 7 के खातेदारी अधिकारों का अवसान होकर बेचानशुदा भूमि पर क्रेता को अर्थात अप्रार्थी नम्बर 13 को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत होना प्रकट होता है चाहे अभिलेख (जमाबंदी) में नाम दर्ज हुआ हो या नहीं। जमाबंदी में नाम नहीं होने मात्र से प्रतिपक्षी नं० 13 के खातेदारी अधिकार को समाप्त हो रहा या नहीं है, ऐसा नहीं	

10/2/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माना जा सकता। अर्थात स्वयं साक्ष्य अभिलेख प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 1 से 13 तक का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। प्रकरण वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है, ऐसा दस्तावेजात प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी नं. 1 से 7 के द्वारा अप्रार्थी नं. 13 को प्रकरण वर्णित भूमि से अपना हिस्सा बेचान कर रजिस्टर्ड बयनामे के द्वारा कब्जा संभलाया जाना स्वीकार किया है। अर्थात यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी नं. 13 या अन्य अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। यदि प्रार्थीगण के साथ कथनानुसार पर ही प्रतिपक्षीगण को विवादित भूमि के उपयोग, उपभोग से वंचित करने का आदेश जारी किया जाता है, तो इससे अप्रार्थीगण को ही असुविधा होगी। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि स्वयं काश्त की जा रही है या अन्य के द्वारा काश्त अथवा करवाई जा रही है यह अवगत नहीं कराया है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अप्रार्थीगण 8 से 12 तथा 13 की हैसियत भी विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के समान सहखातेदार की है। अप्रार्थी क्रम 13 द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 से 7 की स्वत्व खरीद कर भूमि क्रय की है, अतः यदि उक्त प्रार्थी —/2020	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार हुक्म ...
	आदेश पारित किया जाता है, तो इससे अप्रार्थीगण को ऐसी क्षति संभाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन किया जाना भी संभव नहीं है। अपरिमित क्षति का प्रश्न प्रार्थीगण के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण या अप्रार्थी सं. 1 व 13 को वादग्रस्त भूमि पर क्या स्वत्व प्राप्त है, या होने चाहिये? इसका विनिश्चय मूलवाद में सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है, न कि पक्षकारान के कथनाधार पर। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारणोपरान्त हम यह पाते हैं, कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई आदेश की शर्तें मय पर खरा नहीं उतरता है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद सि०नं० 49/18 के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 10.2.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 10/02/2020 (चिमनलाल मीना) R.A.S.	